न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 55/2024(GCMS: 2024/90)

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री अजय पुत्र श्री कृष्ण लाल** आयु 22 वर्ष जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 06, तीन ई छोटी, मोबाईल नम्बर 85599–42665, जिला श्रीगंगानगर
2. **फर्म रमन की दुकान,** सौ फुट रोड, 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नीरज सोनी एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ प्रवर्तन स्टॉफ एवं पुलिस विभाग, श्रीगंगानगर की गठित संयुक्त टीम 3ई छोटी, सौ फुट रोड़ पर स्थित दुकान/फर्म रमन की दुकान श्रीगंगानगर पर पहुचीं। मौका पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल आयु 22 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 06, 03 ई छोटी, मो. 85599–42665 जिला श्रीगंगानगर बताया। वरवक्त मौका उक्त दुकान के बाहर एक सफेद रंग की मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आजे 18 सीए 8601 खड़ी पाई गई। मौके पर श्री अजय कुमार से पूछने पर उक्त वाहन का स्वयं का होना बताया। मौके पर अजय कुमार की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8061 तथा उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 में दो प्लास्टिक में पैट्रोल भरा पाया गया तथा दुकान में दो प्लास्टिक कीप पाई गई। मौके पर श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल ने सभी गैलनों में सम्मिलित

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रूप से कुल 130 पैट्रोल होना बताया। श्री अजय द्वारा वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। वरवक्त पूछताछ श्री अजय पुत्र श्री कुष्णलाल ने उक्त वाहन आरजे 18 सीए 8601 का उपयोग पैट्रोल परिवहन एवं भण्डारण में होना बताया। श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल ने बताया कि उसके द्वारा उक्त वाहन का उपयोग करते हुए **पंजाब के पैट्रोल पंपो से पैट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में 3ई छोटी, सौ फुट रोड़ पर स्थित दुकान/फर्म रमन की दुकान श्रीगंगानगर पर स्थित उक्त दुकान पर विक्रय किया जाता है।** मौके पर श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल ने पैट्रोल के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबंधी कोई **अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नही किया।** मौके पर पाये गये गैलनों में भरे पैट्रोल की सैम्पलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। मौका पर फर्द सैम्पलिंग तैयार की गई। **सैम्पलिंग बचा हुआ पैट्रोल कुल 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन, मय मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 तथा दो प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये।** जब्तशुदा कुल 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन व दो प्लास्टिक कीप तथा इस कार्य में उपयोग में ली जा रही मारूति कार वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना, जवाहर नगर श्रीगंगानगर को सुपुर्दगी में दिया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार की गई। अजय पुत्र श्री कृष्णलाल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0132 पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर में दर्ज करवाई गई है। अजय पुत्र श्री कृष्णलाल आयु 22 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 06, तीन ई छोटी, मो. 85599—42665 जिला श्रीगंगानगर द्वारा अवैध पैट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उल्लंघन है। अतः जब्तशुदा अवैध 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन, मय मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज सोनी ने लिखित बहस पेश की और लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा झूठा इस्तगासा पेश किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय जंगीर सिह एवं अन्य बनाम राज. राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 2005 के तहत जिला रसद अधिकारी, अति. जिला रसद अधिकारी, खाद्य विभाग एवं कार्यपालक दण्डनायक सर्चएवं सीजर करने के लिए अधिकृत है, लेकिन उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही मौका पर जब्ती आदि विधिपूर्ण नहीं की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि एफआईआर में प्रार्थी की दुकान से 30 लीटर पैट्रोल बरामद करना पाया गया है जबकि पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण–पैट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत श्रेणी के तहत 30 लीटर पैट्रोल के सम्बन्ध में कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है। 30 लीटर पैट्रोल स्टोरेज किया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि एफआईआर में 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ दुकान से बरामद बताया गया है व गाड़ी में 100 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ बताया गया है जबकि इस्तगासा में केवल दो गेलन कार से बरामद दिखाया गया है। इससे साफ जाहर है कि पुलिस व अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके मामला अपनी ओर से तैयार किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि एफआईआर में कीप बरामद करनी नहीं दिखाई गई, परिवार में कीप को दिखया गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बाद में अपनी कहानी बनाकर प्रकरण में फंसाया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्तशुदा पैट्रोलियम पदार्थ अगर प्रार्थी ने बेचान करने के आश्य से रखा हुआ माना जाता है तो मौका पर किसी लीटर, माप, बोतल आदि की कोई बरामदगी नहीं हुई है ना ही कोई ग्राहक मौके पर बरामदगी अधिकारी को मिला है जिससे यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि पैट्रोल बेचान करने के आश्य से रखा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर बदामद शुदा पदाार्थ को सील बंद नहीं किया गया था ना ही कोई सैंपल लिया गया था ना ही किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह बनाया गया, सम्पूर्ण कार्यवाही अपने स्तर से झूठी तैयार की गई थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि पेट्रोल पंजाब से सस्ता लाकर बेचान किया जाता है कि लेकिन यह तथ्य झूठ है, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है केवल मात्र प्रार्थी ने अपने आवश्यकता के लिए स्वयं दो तीन वाहनों में डालने के लिए पेट्रोल, श्रीगंगानगर राजस्थान से खरीद किया है। प्रार्थी द्वारा पेट्रोल बेचने के लिए नहीं रखा गय था। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने नरखी का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने सम्पूर्ण कार्यवाही को पुलिस द्वारा किया जाना बताया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन स्टाफ एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त टीम गठित कर की गई हैं। इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही को विधिपूर्ण नहीं होने का बिन्दु खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस अंकित किया है कि हस्तगत प्रकरण के इस्तगासा में मात्र दो गेलन पेट्रोलियम पदार्थ बरामद बताये गये है है जबकि इस्तगासा में कुल 130 लीटर पेट्रोल होना बताया गया है तथा सैम्पलिंग से बचा हुआ कुल 127.75 लीटर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पेट्रोल होना बताया गया है तथा एफआईआर में कीप बरामद नहीं बताई गई अंकित किया है जबकि इस्तगासा में दो प्लास्टिक कीप अंकित की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी अजय ने स्वयं ने स्वीकार किया था कि उनके द्वारा पंजाब से सस्ता पेट्रोल लाकर, यहां पर बेचान किया जाता है। यह कथन फर्द सैम्पलिंग में भी अंकित है और अप्रार्थी अजय ने स्वयं पर इस पर हस्ताक्षर भी किये है।

उनका आगे कथन था कि विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। **वर्ग "क" का भण्डार 30 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है** जबकि अप्रार्थी से 130 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। इसलिए भी अप्राथी से जब्त किया गया 130 लीटर पेट्रोल मय वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी के पास भण्डारण/विक्रय/परिवहन का भी कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अप्रार्थी के पास भी भण्डारण/विक्रय/परिवहन की कोई अनुज्ञप्ति हो। ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के पास उपलब्ध होता तो वे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करते।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 की स्पष्ट उल्लंघन की है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा 130 लीटर पैट्रोल मय वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 को राजसात किया **जावे।**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी रमेश कुमार के अधिवक्ता श्री नीरज सोनी द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ प्रवर्तन स्टॉफ एवं पुलिस विभाग, श्रीगंगानगर की गठित संयुक्त टीम 3ई छोटी, सौ फुट रोड़ पर स्थित दुकान/फर्म रमन की दुकान श्रीगंगानगर पर पहुचीं। मौका पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना परिचय श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल आयु 22 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 06, 03ई छोटी, मो. 85599–42665 जिला श्रीगंगानगर बताया। वरवक्त मौका उक्त दुकान के बाहर एक सफेद रंग की मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आजे 18सीए 8601 खड़ी पाई गई। मौके पर श्री अजय कुमार से पूछने पर उक्त वाहन का स्वयं का होना बताया। मौके पर अजय कुमार की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8061 तथा उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 में दो प्लास्टिक में पैट्रोल भरा पाया गया तथा दुकान में दो प्लास्टिक कीप पाई गई। मौके पर श्री अजय कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल ने सभी गैलनों में सम्मिलित रूप से कुल 130 पैट्रोल होना बताया। श्री अजय द्वारा वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। वरवक्त पूछताछ श्री अजय पुत्र श्री कुष्णलाल ने उक्त वाहन आरजे 18 सीए 8601 का उपयोग पैट्रोल परिवहन एवं भण्डारण में होना बताया। श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल ने बताया कि उसके द्वारा उक्त वाहन का उपयोग करते हुए **पंजाब के पैट्रोल पंपो से पैट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में 3ई छोटी, सौ फुट रोड़ पर स्थित दुकान/फर्म रमन की दुकान श्रीगंगानगर पर स्थित उक्त दुकान पर विक्रय किया जाता है।** मौके पर श्री अजय पुत्र श्री कृष्णलाल ने पैट्रोल के भण्डारण/ परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नही किया। मौके पर पाये गये गैलनों में भरे पैट्रोल की सैम्पलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। मौका पर फर्द सैम्पलिंग तैयार की गई। सैम्पलिंग बचा हुआ पैट्रोल कुल 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन, मय मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 तथा दो प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये। जब्तशुदा कुल 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन व दो प्लास्टिक कीप तथा इस कार्य में उपयोग में ली जा रही मारूति कार वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601, पुलिस थाना, जवाहर नगर श्रीगंगानगर को सुपुर्दगी में दिया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार की गई। अजय पुत्र श्री कृष्णलाल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0132 पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर में दर्ज करवाई गई है। अजय पुत्र श्री कृष्णलाल आयु 22 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 06, तीन ई छोटी, मो. 85599—42665 जिला श्रीगंगानगर द्वारा अवैध पैट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जब्तशुदा अवैध 127.75 लीटर पैट्रोल मय तीन प्लास्टिक गैलन, मय मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 तथा दो प्लास्टिक की कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थीगण अजय कुमार वगै. के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही व मौका पर जब्ती आदि विधिपूर्ण नहीं की हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण में समस्त कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं गठित टीम द्वारा की गई है जो विधिसम्मत है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सैम्पल की कार्यवाही को सील बंद नहीं करना बताया है जबकि फर्द सैम्पलिंग में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा साफ अंकित किया गया है कि बोतलों पर मार्क नमूना 'ए', 'बी', 'सी' अंकित किया जाकर "सील मोहर किया गया" तथा उक्त फर्द सैम्पलिंग पर अप्रार्थी अजय ने स्वयं हस्ताक्षर किये भी किये हुए है, इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही व मौका पर जब्ती, सैम्पल लेने की कार्यवाही आदि विधिपूर्ण नहीं होने का बिन्दु खारिज किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी अजय कुमार एवं फर्म रमन की दुकान से 130 लीटर पेट्रोल (सैम्पल लेने के पश्चात 127.75 लीटर पेट्रोल) मय तीन प्लास्टिक गैलन, मय मारूति जेन वीएक्सआई वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 तथा दो प्लास्टिक की कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है, जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने एफआईआर में कीप बरामद करनी नहीं दिखाई गई है, का अंकन किया है। जबकि हस्तगासा में दो प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है, इसलिए अप्रार्थी का कीप बरामद नहीं करने का बिन्दु स्वीकार करने योग्य नहीं है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में जब्तशुदा पेट्रोल श्रीगंगानगर, राजस्थान सें खरीद किया जाना अंकित किया है जबकि उसके द्वारा उक्त पेट्रोल, श्रीगंगानगर से खदीद के कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये गये है। फर्द सैम्पलिंग में वाहन में पंजाब से पेट्रोल लाने का कार्य किया जाना बताया है और जिस पर अप्रार्थी अजय स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। अप्रार्थीगण अजय कुमार वगै. द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय **है:**

> 12(1) ....
>
> 12(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है **जबकि अप्रार्थी से 130 लीटर पैट्रोल (सैम्पल के पश्चात 127.75 लीटर पैट्रोल) जब्त किया गया है।**

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 130 लीटर पैट्रोल को झूठी कहानी बताया गया है जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसके वाहन में निर्धारित सीमा 30 लीटर पेट्रोल से अधिक डीजल 130 लीटर पेट्रोल प्राप्त हुआ है। **चूंकि अप्रार्थीगण के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 **के तहत जारी 1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।**

अप्रार्थी ने उक्त डीजल एवं पेट्रोल **क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही** किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण

(12) पत्रांक : पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

.....

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 130 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थीण से जब्तशुदा उक्त वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 मय 130 लीटर पेट्रोल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 130 लीटर पेट्रोल एवं वाहन संख्या आरजे 18 सीए 8601 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक रसद/अभियोजन/2024/1933 दिनांक 10.06.2024 के अनुसार जब्तशुदा के वाहन संख्या RJ-18-CA-8601 का अनुमानित बाजार कीमत 20,000/— रूपये है। इसलिए वाहन पर 20,000/— रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

देवें तो जिला रसद अधकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 130 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 130 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त प्रकरण में 130 लीटर पेट्रोल (सैम्पलिंग के 127.75 लीटर पेट्रौल) एवं उक्त वाहन संख्या **RJ-18-CA-8601** राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ-18-CA-8601** का बाजार मूल्य 20,000/— रूपये है। इसलिए उक्त वाहन संख्या **RJ-18-CA-8601** पर 20,000/— रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर